विधान परिषद् के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री भीम राव अम्बेडकर, मा० सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-02 का उत्तरालेख्य

2(क)- क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारियों के समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०) दिये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22/09/2022 को बैठक संपन्न हुई थी ?	जी हाँ।
2(ख)- यदि हां, तो सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को एक समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०) दिए जाने में अन्तिम निर्णय लेते हुए शासन के आदेश कब तक जारी करायेंगे ?	आयुष विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा की तीन विधायें आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक हैं। चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-713 सेक-9/पॉच-91-29/89 दिनांक 11-03-1991 के द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को तथा चिकित्सा अनुभाग-15 के शासनादेश संख्या-5801/सेक-15/5-90-26(रिट)/90 दिनांक 16-02-1991 के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट प्रदान की गयी है। उक्त के दृष्टिगत आयुष विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन.पी.ए.) अनुमन्य नहीं है।

डा० दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।